राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग
निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 1 ( )स्था/निकाशि/परिपत्र/2012/459 दिनांक 28 मार्च, 2012

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय/
राजकीय महिला महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय–आकस्मिक निरीक्षण के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार समस्त जिला कलक्टरों को यह कहा गया है कि वो महाविद्यालयों का नियमिति निरीक्षण कर प्राध्यापकों/कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करावें। इस क्रम में कुछ जिला कलक्टरों ने मुझे दूरभाष पर यह अवगत कराया है कि कुछ प्राचार्य जिला कलक्टरों अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा किये जा रहे निरीक्षण कार्य में सहयोग नहीं कर रहे हैं। यह अत्यन्त गम्भीर विषय है, क्योंकि ये समस्त जिला कलक्टर राज्यादेशों की अनुपालना में इस उपस्थिति पंजिका का निरीक्षण कर रहे है।

आपको यह निर्देशित किया जाता है कि इस निरीक्षण में आप सहयोग प्रदान करें। यदि कोई प्राचार्य/कोई भी सरकारी कर्मचारी इस कार्य में सहयोग नहीं करेगें तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुबीर कुमार)
IAS
निदेशक एवं
पदेन विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांकः एफ 1 ( )स्था/निकाशि/परिपत्र/2012/459 दिनांक 28 मार्च, 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
2. समस्त संयुक्त–निदेशक कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. श्री धीरेन्द्र देवर्षि, नोडल अधिकारी वेब साईट– कृपया इस परिपत्र को निदेशालय की वेब साईट पर अपलोड करे।

निदेशक एवं
पदेन विशिष्ट शासन सचिव